



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 470]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2013—आश्विन 12, शक 1935

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

आर. नं. 389-सी.सी.-13-अड़तीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में, उपनियम (3) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “रुपए 1,00,000/- (रुपए एक लाख केवल)”  
के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “रुपए 10,00,000/- (रुपए दस लाख केवल)” स्थापित किए जाएं।

R-389-CC-13-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Rules, 2008, namely :—

### AMENDMENT

In the said rules, in rule 3, in sub-rule (3), for the words, figures and bracket “Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lac only)” the words, figures and bracket “Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lac only)” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. एन. कांसोटिया, प्रमुख सचिव।